जारीज
04.3.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

मिनाक्षी बनाम **पवनकुमार आदि**

वाद अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 07 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.01.2025	वकील प्रार्थीया मिनाक्षी द्वारा जरिये वकील श्री रोहिताश नाई प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण से संबंधित एक केवियट प्रार्थी विजयकुमार पुत्र रामकुमार द्वारा जरिये वकील श्री हनुमान शर्मा प्रस्तुत की गई है। वकील प्रार्थी विजयकुमार ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जिस पर वकील प्रार्थीया मिनाक्षी ने अनापति पेश की। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 3 पर विजयकुमार पुत्र रामकुमार को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते है उक्तानुसार प्रार्थनापत्र के शीर्षक में लाल स्याही से अंकन किया जावे। अप्रार्थी सं. 3 ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 11 सीपीसी पेश किया। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के जबाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते तल्बी एवं जबाब प्रार्थना पत्र आईन्दा दिनांक 28/1/2025 को पेश हो। [signature]	
28.1.2025	वकील पक्षकार उपस्थित/PO [illegible] हैं। पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 4.3.2025 को पेश हो [signature]	
4.3.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाई किन्तु कोई हाजिर नहीं। प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी/पैरवी में खारिज किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.29 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested